कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-४डी(१)/२०३/मृ०आ०/२०२२/

लखनऊः दिनांकः **01**/0**2**/2024

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० अशोक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, अधीन निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ की मृत्यु दिनांक 29.11.2020 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनकी आश्रित पुत्री कु० नम्रता गुप्ता की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनयम, 30प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-4 के पत्रावली संख्या-5-4099/901/2022-4-1/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/दी०सी०-VI(II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2022" में निहित प्राविधान के अन्तर्गत निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-4डी(2)/एन०दी०/2021/मृ0आ0/18/131, दिनांक 01.02.2024 एवं निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ के पत्र संख्या-नि०प्र०अधि०/मृतक आश्रि०/शपथ/2023-24/4687, दिनांक 19.02.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रू० 5200-2020 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सिहित अस्थायी रूप में अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना िकसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

2. उक्त पर एट इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ निर्देशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष निम्निलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगाः-

(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।

(घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।

(इ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।

्व) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।

5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/ठी०सी०-VI(II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तो के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गित अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गित अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवार्य समाप्त कर दी जायेगी।

6. कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन अधिसूचना संख्या-6/12-73-का-2-2001, दिनांक 12.10.2001 में (नियम-5 का संशोधन) के बिन्द्र-3 में यह प्राविधान है कि-

3- उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम-2(2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात-

"(3) उपनियम (1) के अधीन की गरी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

fee

4-जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्काः करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम-(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि कु० नम्रता गुप्ता पुत्री स्व० अशोक कुमार गुप्ता अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेगी। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

मृतक कर्मचारी, पित/पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत

नहीं हैं, कार्यरत् की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।

यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।

मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जार्ये कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।

- कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक २७.१२.२०२२, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के अन्दर कु० नस्रता गुप्ता की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह जनवरी, 2025 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गटित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है।
- उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए टॅकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।

स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।

- यह नियुर्वित पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
- यदि भविष्य में कु० नस्रता गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवार्चे स्वतः समाप्त हो जार्चेगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कु० नम्रता गुप्ता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०) आई०ए०एस० निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/203/मृ0आ0/2022/ 1499 - 1510 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज। 1.

विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४ 2.

वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।

निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेत्।

निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ। 5.

अपर निर्देशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

संयुक्त निर्देशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि 7. में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ को अनुपालनार्थ 8. एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-04, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ। 9.

कु० नम्रता गुप्ता पुत्री स्व० अशोक कुमार गुप्ता, निवासी-१३ शिव विहार कालोनी, विकास नगर, लखनऊ 10. (पंजीकृत डाक द्वारा)।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी कृत्र्रे 11. पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

गार्ड फाडल। 12.

> (डा० रंजना खरे) अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)